

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर  
रसद प्रार्थना पत्र संख्या 06/2025

राजस्थान सरकार जरिये जगदीश प्रसाद शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर।

बनाम

.....प्रार्थी

श्री राहुल सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह

बन्ना भोजनालय, पडाव, अजमेर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थित: श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी – पैरोकार सरकार  
श्री राहुल सिंह अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 18.02.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 10.1.2025 को श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय के आदेशानुसार अभियान तहत घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरुपयोग/घरेलू सिलेण्डरों के अवैध रूप से रोकने के अभियान के तहत जाच दल जगदीश प्रसाद शर्मा प्रवर्तन अधिकारी, सुश्री उर्मिला सेहर प्रवर्तन अधिकारी, महेन्द्र कुमार यादव प्रवर्तन निरीक्षक, राहुल वेदवाल प्रवर्तन निरीक्षक अजमेर शहरी क्षेत्र में श्री राहुल सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, बन्ना भोजनालय, पडाव, अजमेर पर पहुँचे। दुकान पर घरेलू गैस सिलेण्डर लगा कर व्यावसायिक दुरुपयोग किया जा रहा था। गैस सिलेण्डर के संदर्भमें कोई कागजात मौके पर प्रस्तुत नहीं किए। दुकान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग कर कार्य में घरेलू सिलेण्डर दुरुपयोग करना पाया गया यह घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यावसायिक उपयोग की पुष्टि करता है। अप्रार्थी द्वारा एल.पी. जी. सिलेण्डरों का दुरुपयोग कर एल.पी.जी. आदेश, 2000 के खण्ड 3 (1)(सी) की अवहेलना होने के कारण घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डरों को राजहित में जब्त किया गया। मौके पर कालू खान प्रतिनिधि गुलाब गैस एजेन्सी, अजमेर को बुलवा कर कांटे से वजन करवाने पर सिलेण्डर विवरण निम्नानुसार पाया गया।

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS
1	031476	IOCL	15.1	29.3	14.2

जिला कलक्टर  
अजमेर

2	507344	IOCL	15.1	15.1	-
3	145101	IOCL	16.1	16.0	-

सिलेण्डर को श्री कालू खान गुलाब गैस एजेंसी अजमेर को आगामी आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु सुर्पुदगी में दिए गए। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।


प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी उपस्थित। पैरोकार सरकार द्वारा सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 10.01.2025 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यावसायिक स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरुपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरुपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये तीन घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात फरमाया जावे।

अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि दिनांक 10.01.2025 को रसद विभाग अजमेर द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर की जांच की गई मुझे नियमों की जानकारी नहीं होने के कारण व्यवसाय स्थान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग किया गया भविष्य में पुनर्नवृत्ति नहीं होगी। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त फरमावे

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया, साथ ही अप्रार्थी ने आरोप को स्वीकार किया गया है। प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 10.01.2025 के अप्रार्थी के उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये तीन गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 18.02.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

  
(लोक बंधु)  
जिला कलक्टर, अजमेर